

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

|  | वास्तविक 2021-2022 |            |                | बजट 2022-2023  |            |                | संशोधित 2022-2023 |            |                | बजट 2023-2024  |             |                |
|--|--------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | राजस्व             | पूंजी      | जोड़           | राजस्व         | पूंजी      | जोड़           | राजस्व            | पूंजी      | जोड़           | राजस्व         | पूंजी       | जोड़           |
| कुल  | 1147.39            | ...        | 1147.39        | 2941.99        | ...        | 2941.99        | 1901.59           | ...        | 1901.59        | 3285.19        | 2.46        | 3287.65        |
| वसूलियां   | -0.99              | ...        | -0.99          | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | ...            | ...         | ...            |
| प्राप्तियां  | ...                | ...        | ...            | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | ...            | ...         | ...            |
| <b>निवल</b>  | <b>1146.40</b>     | <b>...</b> | <b>1146.40</b> | <b>2941.99</b> | <b>...</b> | <b>2941.99</b> | <b>1901.59</b>    | <b>...</b> | <b>1901.59</b> | <b>3285.19</b> | <b>2.46</b> | <b>3287.65</b> |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:                                  |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| <b>केंद्र का व्यय</b>  |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| <b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>   |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| 1. सचिवालय   | 29.81              | ...        | 29.81          | 40.00          | ...        | 40.00          | 42.54             | ...        | 42.54          | 125.10         | 1.76        | 126.86         |
| 2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग  | 0.16               | ...        | 0.16           | 0.18           | ...        | 0.18           | 0.18              | ...        | 0.18           | 0.18           | ...         | 0.18           |
| <b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>  | <b>29.97</b>       | <b>...</b> | <b>29.97</b>   | <b>40.18</b>   | <b>...</b> | <b>40.18</b>   | <b>42.72</b>      | <b>...</b> | <b>42.72</b>   | <b>125.28</b>  | <b>1.76</b> | <b>127.04</b>  |
| <b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>                                       |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| 3. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना  | 713.49             | ...        | 713.49         | 900.00         | ...        | 900.00         | 673.00            | ...        | 673.00         | 923.24         | ...         | 923.24         |
| 4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना                  | 9.27               | ...        | 9.27           | 1022.00        | ...        | 1022.00        | 801.00            | ...        | 801.00         | 1529.80        | 0.20        | 1530.00        |
| <b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>                                  | <b>722.76</b>      | <b>...</b> | <b>722.76</b>  | <b>1922.00</b> | <b>...</b> | <b>1922.00</b> | <b>1474.00</b>    | <b>...</b> | <b>1474.00</b> | <b>2453.04</b> | <b>0.20</b> | <b>2453.24</b> |
| <b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>  |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| <b>स्वायत्त निकाय</b>  |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| 5. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी)                         | 27.70              | ...        | 27.70          | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | ...            | ...         | ...            |
| 6. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली | 40.50              | ...        | 40.50          | 79.81          | ...        | 79.81          | 94.87             | ...        | 94.87          | 38.26          | ...         | 38.26          |
| 7. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)- तंजावुर       | ...                | ...        | ...            | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | 30.06          | ...         | 30.06          |
| <b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>   | <b>68.20</b>       | <b>...</b> | <b>68.20</b>   | <b>79.81</b>   | <b>...</b> | <b>79.81</b>   | <b>94.87</b>      | <b>...</b> | <b>94.87</b>   | <b>68.32</b>   | <b>...</b>  | <b>68.32</b>   |
| <b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>   | <b>68.20</b>       | <b>...</b> | <b>68.20</b>   | <b>79.81</b>   | <b>...</b> | <b>79.81</b>   | <b>94.87</b>      | <b>...</b> | <b>94.87</b>   | <b>68.32</b>   | <b>...</b>  | <b>68.32</b>   |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण   |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |

(₹ करोड़)

|   | वास्तविक 2021-2022 |            |                | बजट 2022-2023  |            |                | संशोधित 2022-2023 |            |                | बजट 2023-2024  |             |                |
|---|--------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | राजस्व             | पूंजी      | जोड़           | राजस्व         | पूंजी      | जोड़           | राजस्व            | पूंजी      | जोड़           | राजस्व         | पूंजी       | जोड़           |
| <b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>   |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| 8. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पी.एम. एफ.एमई) योजना | 326.46             | ...        | 326.46         | 900.00         | ...        | 900.00         | 290.00            | ...        | 290.00         | 638.55         | 0.50        | 639.05         |
| 9. वास्तविक वसूलियां  | -0.99              | ...        | -0.99          | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | ...            | ...         | ...            |
| <b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>  | <b>325.47</b>      | <b>...</b> | <b>325.47</b>  | <b>900.00</b>  | <b>...</b> | <b>900.00</b>  | <b>290.00</b>     | <b>...</b> | <b>290.00</b>  | <b>638.55</b>  | <b>0.50</b> | <b>639.05</b>  |
| <b>कुल जोड़</b>   | <b>1146.40</b>     | <b>...</b> | <b>1146.40</b> | <b>2941.99</b> | <b>...</b> | <b>2941.99</b> | <b>1901.59</b>    | <b>...</b> | <b>1901.59</b> | <b>3285.19</b> | <b>2.46</b> | <b>3287.65</b> |
| <b>ख. विकास शीर्ष</b>   |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| <b>आर्थिक सेवाएं</b>  |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| 1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम  | 888.70             | ...        | 888.70         | 2411.99        | ...        | 2411.99        | 1721.25           | ...        | 1721.25        | 2826.92        | ...         | 2826.92        |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं   | 29.81              | ...        | 29.81          | 40.00          | ...        | 40.00          | 42.54             | ...        | 42.54          | 125.10         | ...         | 125.10         |
| 3. खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय                                   | ...                | ...        | ...            | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | ...            | 0.70        | 0.70           |
| 4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय                                  | ...                | ...        | ...            | ...            | ...        | ...            | ...               | ...        | ...            | ...            | 1.76        | 1.76           |
| <b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>   | <b>918.51</b>      | <b>...</b> | <b>918.51</b>  | <b>2451.99</b> | <b>...</b> | <b>2451.99</b> | <b>1763.79</b>    | <b>...</b> | <b>1763.79</b> | <b>2952.02</b> | <b>2.46</b> | <b>2954.48</b> |
| <b>अन्य</b>   |                    |            |                |                |            |                |                   |            |                |                |             |                |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्र   | ...                | ...        | ...            | 180.00         | ...        | 180.00         | 96.30             | ...        | 96.30          | 156.42         | ...         | 156.42         |
| 6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान   | 225.63             | ...        | 225.63         | 300.00         | ...        | 300.00         | 40.00             | ...        | 40.00          | 171.75         | ...         | 171.75         |
| 7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान                                  | 2.26               | ...        | 2.26           | 10.00          | ...        | 10.00          | 1.50              | ...        | 1.50           | 5.00           | ...         | 5.00           |
| <b>जोड़-अन्य</b>  | <b>227.89</b>      | <b>...</b> | <b>227.89</b>  | <b>490.00</b>  | <b>...</b> | <b>490.00</b>  | <b>137.80</b>     | <b>...</b> | <b>137.80</b>  | <b>333.17</b>  | <b>...</b>  | <b>333.17</b>  |
| <b>कुल जोड़</b>   | <b>1146.40</b>     | <b>...</b> | <b>1146.40</b> | <b>2941.99</b> | <b>...</b> | <b>2941.99</b> | <b>1901.59</b>    | <b>...</b> | <b>1901.59</b> | <b>3285.19</b> | <b>2.46</b> | <b>3287.65</b> |

- सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वाइन और अंगूर की बेल (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।
- प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना:** इसे निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के प्रावधान के लिए किया गया है: (क) मेगा फूड पार्क स्कीम ₹ 54.80 करोड़; (ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना स्कीम ₹ 81.30 करोड़; (ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम ₹ 196.50 करोड़; (घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम ₹ 320.00 करोड़; (ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम ₹ 5.39 करोड़; (च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम ₹ 46.50 करोड़; (छ) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम ₹ 4.96 करोड़; (ज) अवसंरचना से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियां; (झ) ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम ₹ 213.59 करोड़; तथा (ञ) स्वच्छता कार्य योजना ₹ 0.20 करोड़।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना भारत के विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और संवर्धित निर्यात के लिए वैचार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैम्पियन को सृजन करने के लिए सहायता;

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों को भारतीय ब्रांड करने में सहायता; ऑफ-फार्म के रोजगार अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद के लिए पारिश्रमिक मूल्य तथा किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना है।

- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जिसका नाम बदल कर निफ्टेम - कुंडली कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता है।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)-तंजावुर:** संसद ने दिनांक 26.07.2021 को निफ्टेम अधिनियम, 2021 पारित किया, जिसके प्रवृत्त होने के बाद संस्थान आईआईएफपीटी, थंजावुर का नाम बदल कर निफ्टेम - थंजावुर कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है।

8. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पी.एम. एफएमई) योजना:** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत' पैकेज के तहत 2020 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में आरंभ किए गए स्कीम के लिए है, जिसे पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और पांच साल की अवधि में क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए है।